राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल),
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2.

सं.फा. 02(06)/2010–क0सं0 एवं भाषा/1758 दिनांकः 17/8/12

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. समस्त प्रशासक, स्थानीय निकाय/स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विषयः द्वितीय राजभषा उर्दू के संरक्षण/प्रोत्साहन एवं उर्दू अनुवादकों की भर्ती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के नाम प्राप्त प्रतिवेदन के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 (प्रति संलग्नक)" के पूर्ण कार्यान्वयन एवं उसके द्वारा घोषित दिल्ली की द्वितीय राजभाषा उर्दू के संरक्षण/प्रोत्साहन हेतु अपने विभागों/कार्यालयों में उर्दू अनुवादक, उर्दू कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति/पदों का सृजन सुनिश्चित करें और साथ ही इस संबंध में अपने विभाग/कार्यालय में सृजित/रिक्त/कार्यरत पदों की स्थिति एवं इस संबंध में की गई/की जाने वाली/अपेक्षित कार्रवाई से भी इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संतोष द वैद्य)
विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

सं.फा. 02(06)/2010–क0सं0 एवं भाषा/1759–1760 दिनांकः 17/8/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप–सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग/समन्वय प्रशासन), दूसरा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को इस विभाग में उर्दू अनुवादक के रिक्त पद पर स्थाई नियुक्ति करवाने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित।

(संतोष द वैद्य)
विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

Place at dept's website
22.08.2012

M. Ahmad

E:\Urdu\Hindi letters.doc

दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि,न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।

सं0फा0 14 (33)वि.कार्य–2000–03/1101 दिनांक: 02 जुलाई, 2003

अधिसूचना

सं0फा0 14 (33)वि.कार्य–2000–03/1101/ – राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 13.6.2003 को मिली अनुमति के पश्चात् विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :–

"दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 (दिल्ली अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2003)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 03 अप्रैल, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों एवं अन्य विषयों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रथम भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी और द्वितीय भाषाओं के रूप में गुरूमुखी लिपि में पंजाबी और फारसी लिपि में उर्दू को स्वीकृत कराने हेतु एक अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के इक्यावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार विनियमित किया जाए :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ**

(1) इस अधिनियम को दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 कहा जाए।

(2) यह संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित है।

(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषाएं**

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में :–

(क) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(ख) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से है;

(ग) "विधानसभा" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा।

3. **हिन्दी का दिल्ली की राजभाषा होना**

दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी उस तिथि से होगी जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

बशर्ते कि दिल्ली में अंग्रेजी भाषा उन प्रशासनिक एवं विधायी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रहेंगी जिनके लिए इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रयोग की जाती रही थी।

आगे शर्त है कि विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक या पारित अधिनियम अथवा दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अथवा संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गये किसी कानून अथवा सरकारी राजपत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल के प्राधिकार के अन्तर्गत प्रकाशित दिल्ली में विस्तारित किसी अन्य राज्य के कानून के अन्तर्गत जारी किसी आदेश, नियम, विनियम अथवा उपविधि का अनुवाद इस अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में इसका प्राधिकृत पाठ मान लिया जायेगा।"

4. **पंजाबी एवं उर्दू दिल्ली की दो द्वितीय राजभाषाएं**

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए गुरूमुखी लिपि में पंजाबी तथा फारसी लिपि में उर्दू दिल्ली की द्वितीय भाषाएं होंगी, अर्थात् :–

"(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करने और इनके उत्तर देना।

(ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।

(ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी मे भी होंगे।

(घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार–पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।

(ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्रवाही उर्दू और पंजाबी में अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ–साथ जारी की जाएगी।"

5. **अंको का स्वरूप**

दिल्ली के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप अंकों का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।

6. **नियम बनाने की शक्ति** (1)

इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकते है, यथा

"(क) विधेयकों इत्यादि के हिन्दी भाषा के प्राधिकृत पाठ का अंग्रेजर, पंजाबी तथा उर्दू भाषाओं में अनुवाद की रीति,

(ख) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित है अथवा निर्धारित किया जा सकता है।"

3. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे वह एक दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सूत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।